उत्तर प्रदेश शासन,

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 12 जून, 2024

विज्ञप्ति

उ0प्र0 में विभिन्न विभागों के अधीन स्थापित/संचालित निजी क्षेत्र के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश और फीस नियमन हेतु उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 में प्रवेश और फीस नियमन के लिए एक समिति के गठन का प्रविधान किया गया है। प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1561/सोलह-1- 2008-5 (डब्ल्यू-48)/2003 दिनांक 01.05.2008 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियामावली, 2008 प्रख्यापित की गयी है, जिसके नियम-3(1) में निजी क्षेत्र की व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश और फीस नियमन के लिए समिति गठन का प्राविधान है।

2 - उक्त प्राविधानों के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल पाठ्यक्रमों के शुल्क-निर्धारण हेतु एतद्द्वारा निम्नवत समिति का गठन किया जाता है:-

(1)	प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष, पदेन
(2)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष सचिव से निम्न न हो	सदस्य
(3)	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य सचिव।

उक्त समिति अधिनियम, 2006 के अध्याय-4 के बिन्दु संख्या-10 में निम्नलिखित व्यवस्था को संज्ञान में लेते हुए शुल्क-निर्धारण हेतु विचार करेगी:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी:-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप,

(दो) उपलब्ध अवसंरचना,

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिये आवश्यक समुचित बचत,

(चार) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय,

(पांच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय,

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति, कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाए मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

Signed by
Shree Prakash Gupta
Date: 12-06-2024 12:59:37
(श्री प्रकाश गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा- 4 के अन्तर्गत उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियामावली, 2008 (दिनांक 01.05.2008) की धारा- 3 (1) के प्राविधानानुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल पाठ्यक्रमों हेतु उपर्युक्त समिति के गठन को कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित कराने का कष्ट करें।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज, द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, मुद्रण एवं प्रकाशन, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर 50 प्रतियां तत्काल चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।